



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर  
(राज्य सरकार का स्वयंप्रति शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ. एस.राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर  
फोन:- 2717099 फोन- 2705067, फैक्स- 0141-2705067

www.rsos.rajasthan.gov.in

e-mail: rajasthansos@gmail.com

क्रमांक: प.12(5)आरएसओएस/परीक्षा मूल्यांकन/रददी निस्तारण/2011/6232 दिनांक: 24/03/2021

निविदा स्वीकार करने का आशय पत्र

मैसर्स जय भारत ट्रेडर्स  
4 ए, कमला नेहरू मार्केट (पूर्वी),  
अजमेरी गेट, जयपुर।  
पिन कोड 302001  
E-mail - jaibharattraders82@gmail.com  
Phone : 9828020995

विषय :- निविदा क्रमांक 11/2020-21 दिनांक 24.02.2021 को आमंत्रित निविदा स्वीकृति के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा जारी निविदा क्रमांक 11/2020-21 के क्रम में दिनांक 15.03.2021 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय में अपरान्ह 4:00 बजे कमेटी एवं निविदादाताओं के समक्ष निविदाएँ खोली गई थी। प्राप्त निविदाओं में आप द्वारा प्रस्तुत निविदा दर रुपये 2549/- प्रति क्विंटल+GST अतिरिक्त अधिकतम प्राप्त हुई है जिसे स्वीकार किया जाता है।

आप रददी के लगभग मूल्य 9,77,388 रुपये के 2.5 प्रतिशत अर्थात् 24,434/- (अक्षरे चौबीस हजार चार सौ चौत्तीस रुपये) के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट, निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में जमा करावें एवं रु. 500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस पत्र के संलग्न प्रारूप में मय अनुसूची करारनामा 15 दिवस के भीतर निष्पादित करावें।

संलग्न :-

(1) करार पत्र का प्रारूप मय संलग्नक अनुसूची

O/C  
[Signature]

[Signature]  
सचिव  
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल  
जयपुर



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर  
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)  
एकलव्य भवन

डॉ. एस.राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर  
फोन:- 2717099 फोन- 2705067, फैक्स- 0141-2705067

www.rsos.rajasthan.gov.in


e-mail: rajasthansos@gmail.com

संलग्नक अनुसूची

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में उपलब्ध शिक्षार्थियों प्रयुक्त पश्चात् अनुपयोगी उत्तरपुस्तिकाओं, शेष प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्रों के खाली लिफाफे तथा पैकिंग रद्दी, OMR शीट्स, स्टिकर्स, उपस्थिति-पत्रक, आदि की नीलामी दिनांक 15.03.2021 में अधिकतम बोलीदाता फर्म मैसर्स जय भारत ट्रेडर्स 4 ए, कमला नेहरू मार्केट (पूर्वी), अजमेरी गेट, जयपुर, पिन कोड 302001 की दर निम्नानुसार अधिकतम प्राप्त हुई है :-

सफल निविदादाता फर्म :-	स्तम्भ - अ
मैसर्स जय भारत ट्रेडर्स 4 ए, कमला नेहरू मार्केट (पूर्वी), अजमेरी गेट, जयपुर। पिन कोड 302001	स्वीकृत दर प्रति क्विंटल 2549/- (अक्षरें पच्चीस सौ उनचास रुपये) प्रति क्विंटल+GST अतिरिक्त

निविदादाता फर्म के हस्ताक्षर

  
सचिव  
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल  
जयपुर



## करार - पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... को एक ओर .....  
..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुमोदित क्रेता" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति, में जहां संदर्भ के अनुकूल हों, उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे।) और दूसरी ओर निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "विक्रेता" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तराधिकारियों एवम् समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. चूंकि अनुमोदित क्रेता, राजस्थान राज्य के राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को उनके मुख्यालय पर इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित समस्त रद्दी, इसके साथ संलग्न संविदा के प्रतिबन्धों में दी गई रीति के अनुसार तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ ..... में उल्लेखित दरों से क्रय करने के लिए सहमत हो गया है।
3. चूंकि अनुमोदित क्रेता ने रु ..... की रकम डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा उपर्युक्त करार के यथावत पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करा दी है।
4. अब यह विलेख निम्नांकित का साक्षी है -
  1. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा निदेशक के जरिए इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित दर ..... रुपये प्रति किंचटल से किए जाने वाले संदायों में अनुमोदित क्रेता ..... संलग्न अनुसूची में उल्लेखित रद्दी संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं उपाबंधों में बतलायी गई रीति से यथावत रूप से क्रय कर निष्पादित करेगा।
  2. निविदा और संविदा की शर्तें जो निविदा सूचना ..... दिनांक ..... के साथ संलग्न थी तथा इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जायेगा तथा इस करार को निष्पादित करने वाले पक्षकार इनसे बाध्य होंगे।
  3. अनुमोदित क्रेता एतद् द्वारा यह करार करता है कि यदि यह कार्यालय उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो अनुमोदित क्रेता उक्त प्रतिबन्धों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर भुगतान करेगा तो विक्रय किये गये रद्दी की डिलीवरी क्रेता को विधिवत् सौंप दी जायेगी।
  4. विक्रयादेश की तारीख से 20 दिन की अवधि (अवकाश के दिनों सहित) के भीतर सभी रद्दी उठानी होगी।
5. यदि निविदाकार, करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रद्दी नहीं उठाता है तो विक्रेता अपने विवेकानुसार, रद्दी उठाने की अवधि, निविदाकार से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्त्र नहीं होगी, की वसूली के अध्याधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली निम्नानुसार होगी :-

क्र.सं.	विलम्ब अवधि	विलम्ब अवधि में देय शास्त्र
1.	प्रथम 5 दिन की देरी पर	2.5 प्रतिशत विक्रय मूल्य का
2.	5 दिवस से अधिक 10 दिवस तक	5 प्रतिशत विक्रय मूल्य का
3.	10 दिवस से अधिक 15 दिवस तक	7.5 प्रतिशत विक्रय मूल्य का
4.	15 दिवस से अधिक 20 दिवस तक	10 प्रतिशत विक्रय मूल्य का

- (I) विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जायेगा।
- (II) स्वीकार की गई परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (III) यदि क्रेता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत क्रय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो लिखित में निदेशक आरएसओएस

- को आवेदन करेगा किन्तु आवेदन बाधा के घटित होने के तत्काल बाद उसी समय दिया जायेगा न कि क्रय को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के बाद दिया जावेगा।
- (IV) यदि विलम्ब ऐसे कारण से हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जावेगी।
- (V) उपरोक्त प्रकार से देरी से माल उठाने के लिए साक्ष्य देने व गोदाम किराया लेने का निर्णय कार्यालय निदेशक के विवेक पर निर्भर होगा। अत्यन्त आवश्यकता होने पर इस कार्यालय के गोपनीय हॉल से प्रश्न पत्र मय पेटियां एवं प्रश्न पत्रों के खाली लिफाफे की तुरन्त नीलामी अथवा इसे अन्यत्र रखवाने की व्यवस्था की जा सकेगी जिसकी समस्त हर्जे - खर्चे की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
6. अनुमोदित दरें निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से छः माह तक वैध रहेगी, जिसके अन्तर्गत कार्यालय वांछित रद्दी के क्रय हेतु आदेश दे सकता है।
7. वित्तीय निविदा एवं निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तें इस अनुबन्ध का हिस्सा होगी।
8. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर एतद् द्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित क्रेता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर निदेशक के जरिए अनुमोदित क्रेता को क्रय किए गए सामान की डिलेवरी करेगा।
9. निविदाकार द्वारा रद्दी उठाते समय ही "सी" फार्म प्रस्तुत करने पर कर में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी अन्यथा नियमानुसार कर की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
10. विक्रय की जाने वाली रद्दी की डिलेवरी यथा भरे ट्रक/ट्रकों के सम्पूर्ण माल की अदायगी नकद/ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा कराने पर ही दी जायेगी। क्रेता द्वारा सम्पूर्ण माल उठाने के पश्चात उसके लिखित प्रार्थना-पत्र तथा पल्प प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर एवं करार अवधि पूर्ण होने पर प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।
11. इस करार के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा करार के निर्वचन सम्बन्धी समस्त प्रश्न अध्यक्ष निष्पादक मण्डल राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा विनिश्चय किए जायेंगे तथा अध्यक्ष निष्पादक मण्डल राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का विनिश्चय ही अंतिम होगा।
- इस निविदा एवं अनुबन्ध के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों प्रावधानों के अनुसार होगी।
- जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षों ने दिनांक..... को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित क्रेता के हस्ताक्षर

निदेशक  
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल  
जयपुर

दिनांक .....

दिनांक .....

साक्षी सं. 1.

साक्षी सं. 1.

साक्षी सं. 2.

साक्षी सं. 2.